रा. वा. GCMS No. 2021/175 अनवान भवरसिंह V/S गेनाराम
U/S 183,188,209 RTA 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में हुए
28/03/23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप.। पत्रावली व उपलब्ध रेकॉर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस के पश्चात हस्तगत प्रकरण में ज्ञात है कि वादी द्वारा अपने उक्त वाद के माध्यम से ग्राम कोठार में धारित की जा रही खातेदारी भूमि खसरा नं. 268, 269, 270 कुल खसरा -03 कुल रकबा 2.41 हैक्टर के पश्चिम दिशा की तरफ वाद पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित भू-भाग पर प्रतिवादी सं. 01 द्वारा अवैध कब्जा कर वादी की बिना अनुमति के ट्यूबवेल खुदवा दिया है एवं वादी के खातेदारी खसरा नम्बर 270 के पश्चिम दिशा में पत्थर डालकर अवैध कब्जा कर लिया है। जिस अवैध कब्जे से प्रतिवादी संख्या 01 की बेदखली एवं पुनः कब्जा नहीं करे इस हेतु प्रतिवादी संख्या 01 के विरुद्ध सार्वकालिक निषेधाज्ञा की मांग की गई। वादी के वाद पत्र का जवाब प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं करने से उभय पक्ष वकुलाय को सुनने के पश्चात वादी की खातेदारी भूमि एवं प्रतिवादी सं. 01 की खातेदारी भूमि दोनों पक्षों की भूमियों की नपाई R.I. नाना व पटवारी हल्का कोठार से कराये जाने के आदेश दिये गये। जिसकी पालना में पटवारी हल्का कोठार द्वारा मौके पर जाकर उक्त खसरों का सीमाज्ञान वादी व प्रतिवादी पक्ष के प्रतिनिधि को करवाते हुये मय मौका फर्द के दिनांक 25-06-2022 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार खसरा नंबर 268, 269, 270 के खातेदार की भूमि का सीमाज्ञान कराया जा चुका है अतः बाद अवलोकन पत्रावली वादी के खातेदारी	

उपखण्ड अधिकारी
पाली जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	भूमि ग्राम कोठार के खसरा नंबर 270 के पश्चिम दिशा में प्रतिवादी संख्या 01 किसी प्रकार का अवैध कब्जा व निर्माण नहीं करें। वादी के खातेदारी भूमि को खुर्द बुर्द नहीं करें। इस आशय की सार्वकालिक निषेधाज्ञा बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 01 जारी की जाती है इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।
	SDO उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई
(ओ. 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
इजलास सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस.

वादी :–

भंवरसिंह पुत्र अजीतसिंह जाति राजपूत
निवासी कोठार तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादी :–

1. गेनाराम पुत्र नारारामजी जाति जाट निवासी सांडेराव तहसील सुमेरपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 40/2019 Gcms No. 2019/00257

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष व हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी मिनजानिब प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि कोठार के खसरा नंबर 270 के पश्चिम दिशा में प्रतिवादी संख्या 01 किसी प्रकार का अवैध कब्जा व निर्माण नहीं करें। इस आशय की सार्वकालिक निषेधाज्ञा जारी की जाती है। इसी कदर डिक्री पर्चा मूर्तिब हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28-3-23 को जारी किया गया।

मोहर

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

खण्ड अधिकारी *

Scanned with CamScanner